न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 144/2021 वाद
GCMS No. – 2021/386

संतोषीबाई पत्नी बालुराम जाति बलाई निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादिया

//बनाम//

1. काना पुत्र माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गोतम पुत्र माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. द्रोपतीबाई पुत्री रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. भेरु पुत्र माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. मोतिया पुत्री रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. लक्ष्मीबाई पत्नी रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. श्यामलाल पुत्र रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. शांतिलाल पुत्र रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. सागरमल पुत्र रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :– 1– श्री राकेश कुमार बैरवा – अधिवक्ता वादिया

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
संतोषीबाई बनाम काना वगै.
प्रकरण संख्या – 144/2021 वाद
GCMS No. – 2021/386

:: निर्णय ::

दिनांक :– 14.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादिया ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थिति खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर लगानी 9 रुपये 50 पैसा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. वादग्रस्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात में वादीया का 1/2 हक हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं, तथा वादिया राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर, उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं। वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने की वजह से लगान को लेकर व रकबे की कमी पेशी को लेकर आये दिन वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इसलिए वादिया ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बटवाड़ा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने हेतु प्रतिवादीगणों को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे हैं, तथा बटवाड़ा कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त आराजियात का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर वादिया का 1/2 हक हिस्सा अलग किया जावें तथा प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार शामलाती रखा जावें

3. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा किया जाकर, वादिया का 1/2 हक हिस्से की आराजियात वादिया का अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें, तथा लगान की फाटनी की जावें। प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामलाती रखाया जावें।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया सुनी [illegible] की अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का [illegible] किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादिया ने नकल [illegible] की खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर की [illegible] की है जो प्रदर्श–1 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मौखिक साक्ष्य में वादिया ने स्वयं का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 एवं गवाह चेनराम पिता बालुराम अहीर का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2 पेश किया एवं इनके ब्यान लिये गये। ग्राम मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा की वादग्रस्त खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टैयर वादिया का 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4 का प्रत्येक का 1/8 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 3 व 5 से 9 का प्रत्येक का 1/48 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादिया एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वादिया राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपना हक हिस्सा, मौके पर कब्जा अनुसार अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहती है। वादग्रस्त आराजियात में वादिया रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार को अपने हक हिस्से की जमीन का बंटवारा कराने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। प्रकरण में प्रतिवादीगणों के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से भी वादिया के कथनों को बल मिलता है। अतः वादिया का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः वाद वादिया प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार किया जावें। वादिया का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामलाती रखा जावें। पंहुच मार्ग सुनिश्चित करे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.08.2023 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादिया से वसूल की जावें। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहर: न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.))

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 144/2021 वाद
GCMS No. – 2021/386

संतोषीबाई पत्नी बालुराम जाति बलाई निवासी मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादिया

//बनाम//

1. काना पुत्र माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. गोतम पुत्र माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. द्रोपतीबाई पुत्री रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. भेरु पुत्र माना जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. मोतिया पुत्री रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
6. लक्ष्मीबाई पत्नी रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
7. श्यामलाल पुत्र रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
8. शांतिलाल पुत्र रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
9. सागरमल पुत्र रुपा जाति चमार आयु वयस्क निवासी फलवा हा0मु0 मालियाखेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर ... चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
संतोषीबाई बनाम काना वगै.
प्रकरण संख्या – 144/2021 वाद
GCMS No. – 2021/386

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण आज दिनांक को वादिया के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादिया प्राथमिक डिक्री किया जाता हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि मौजा मालियाखेड़ी पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 87 की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार किया जावें। वादिया का हक हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा बदस्तुर शामलाती रखा जावें। पंहुच मार्ग सुनिश्चित करे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.08.2023 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादिया से वसूल की जावें। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत हो।

यह आज तारीख 14.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner